

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 18/8, 2017

संख्या आरटीआई/10147/2017-पीएमआर



कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री गोपाल प्रसाद केशरी से प्राप्त दिनांक 9.8.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.8.2017 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथाचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

(प्रवीन कुमार)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

e-mail: rti-pmo.applications@gov.in

☎: 2338 2590

E-1243771/RTI
24.8.2017

24/8/17

JS (Tour) - on tour

JS (Tour)

सचिव, भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन भवन, नई दिल्ली

OS (PG) / RTI

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्री गोपाल प्रसाद केशरी
मो0 व पोस्ट बिहटा
पूर्व संयुक्त सचिव
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी
जिला पटना, बिहार-801103

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त
लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

Scan & send to
1. SET (R) R to J. Anand

24/8
20/8/17

Sh.A.M.

Shom
25/8/17

F. OS (RTI)
24/8/17

10/47-18/8/17

1047/17

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

लोक सूचना पदाधिकारी [केन्द्रीय लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय) अवर सचिव [आर टी आर्ष] प्रधानमंत्रि कार्यालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011

16 AUG 2017

DAK SECTION

1. आवेदक का नाम **श्रीमता गोपाल प्रसाद केशरी, पूर्व संयुक्त सचिव**
2. पूरा पता **बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी, मो०पो० बिहव, जिला - पटना**
[801102]
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

महोदय, राजमार्ग निर्माण के कबल मार्ग का एलानमेंट तय करते समय सास कर रिहायशी [अवासिये शहर के विच] से तय करते समय माँगो के दोनों तरफ दिन - रात हजारों हजार ट्रान्स्पीटों के जाने जाने से सभी प्रकार के प्रदुशन, पर्यावरण, ध्वनी प्रदुशन, स्मोक प्रदुशन आदि से, **अफन दुसप्राव** आदि को ध्यान में रख कर एलानमेंट तय किया जाता है, **के सम्बन्ध में जान करी,**

3:- अगर - अगर में प्रयाप्त नूमि है, फिर शहर के विच से राजमार्ग निर्माण के लिये निर्वाय लिया जाना, नक्श में होलेन - आठ लेन चौड़ी करने की जरूरत पड़ेगा ही, अब इस पर ध्यान दिया जाता है

URGENT
RTI ACT
File No. 6706/
& Date 16/8/17
Last Date 21/8/17
For Disposal

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना की अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10-00 रुपये (शब्दों में) **दस रुपये का पोस्टल आर्डर** है, तिथि **18-5-2017** को रसीद सं० **3.8F.5.97236** से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० दिनांक जाँ पदाधिकारी के पक्ष में द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया)।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वाँछत सर्टिफिकेट को छाया प्रति संलग्न है।
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

गोपाल प्रसाद केशरी, मो०पो० बिहव, [पटना]
पूर्व संयुक्त सचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी
[801102]

विभाग कार्यालय
आवेदक का हस्ताक्षर
ई-मेल पता, अगर कांड :
दूरभाष संख्या 8804040400

स्थान : बिहव तिथि : 18-8-2017

नोट :- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

4677838

38F 597526 10/1-